ई मेल/सीसीटीएनएस/अति महत्वपूर्ण

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जमानत संख्या 8835 वर्ष 2018 रवि बनाम उ0प्र0 सरकार में पारित आदेश के अनुपालन में सीसीटीएनएस के कियान्वयन एवं विवेचना के डिजिटाइजेशन हेतु सीसीटीएनएस पोर्टल पर प्रचलित 11 डाटा बैंक सर्विसेज को अंकित किये जाने संबंधी

पुलिस मुख्यालय महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ

1–तिलक मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक–टीएस–सीसीटीएनएस–87/2014–3 दिनांक:दिसम्बर ।। ,2018

सेवा में,

समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद उत्तर प्रदेश।

समस्त जोन कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।
समस्त परिक्षेत्र कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।
समस्त जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।

विषयः– सीसीटीएनएस पोर्टल पर प्रचलित "11 डाटा बैंक सर्विसेज को अंकित करने के लिए **SOP (Standard operating procedures** मानक संचालन प्रकियाएं)" उपलब्ध कराये जाने विषयक।

ज्ञातव्य हो कि सीसीटीएनएस योजना के सफल क्रियान्वयन एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सीसीटीएनएस पोर्टल पर कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर **(CAS) 4.5** में **"11 डाटा बैंक सर्विसेज"** को अंकित करने के लिए **SOP (Standard operating procedures मानक संचालन प्रकियाएं)** उपलब्ध करायी जा रही हैः–

डाटा बैंक सर्विसेज

1–सामान्य ग्राम सूचना
2–ग्राम अपराध विवरण,
3–कैदी विवरण,
4–रिट याचिका विवरण,
5–हथियार लाइसेंस के विवरण,
6–गोलीबारी/लाठीचार्ज विवरण
7–वरिष्ठ नागरिक सूचना,
8–एकल महिला जानकारी,
9–दवा गप्पी सूचना ,
10–सेक्स अपराधी,
11–पुलिस सूचना के लिए सहायक नागरिक

2. **मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जमानत संख्या 8835 वर्ष 2018 रवि बनाम उ0प्र0 सरकार में दिनांक 15.11.2018 एवं 29.11.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में सीसीटीएनएस के कियान्वयन एवं विवेचना के डिजिटाइजेशन हेतु सीसीटीएनएस पोर्टल पर** उपरोक्त **SOP (Standard operating procedures** के अनुसार इनमें सूचना फीड किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि उक्त सन्दर्भ में इस प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन

करने के लिए सूचना अंकित किये जाने हेतु थानाध्यक्ष तथा जनपद के थाना में नियुक्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए जिम्मेदार होंगे।

3. जनपद पुलिस प्रभारी मासिक गोष्ठियों एवं अपराध गोष्ठी अथवा समीक्षा बैठक में अधिकारियों/कर्मचारियों को उपरोक्त के दृष्टिगत जागरूक करें, साथ ही इसका पर्यवेक्षण व अनुश्रवण भी नियमित रूप से करते रहें। इस महत्वपूर्ण बिन्दु को आप गंभीरता से लें। उक्त कार्य में शिथिलता न आने पाये इस हेतु जोन/ परिक्षेत्र/ जनपद के पुलिस प्रमुख प्रभारी इस कार्यवाही व प्रक्रिया में सूचना अंकित कराये जाने हेतु नियमित पर्यवेक्षण करते रहेंगे।

4. उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार डाटा फीड करने में यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो तकनीकी सेवायें मुख्यालय में नियुक्त श्री रामदूत सिंह, प्रोग्रामर ग्रेड–2, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें से दूरभाष संख्या 7839858257 पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

<u>संलग्नक–यथोपरि मेल द्वारा प्रेषित।</u>

11.12.18

(ओ0पी0सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. श्री रामदूत सिंह, प्रोग्रामर ग्रेड–2, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ।
4. श्री दिग्विजय, कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समस्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए को क्यूमेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने व अभिलेखार्थ रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु।
5. प्रभारी ईमेल को पत्र मेल व वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

1. सीसीटीएनएस(CAS) में “सामान्य ग्राम सूचना” सम्बन्धी प्रक्रिया

थाना क्षेत्र के ग्राम से जुडी आधारभूत एवं सामान्य जानकारी, CAS में भरी जा सकती है | इसके लिए CAS में SW(स्टेशन लेखक) की ID से लॉग इन कर **“डेटाबैंक सेवायें→सामान्य ग्राम सूचना”** पर क्लिक कर, जनपद के थाना क्षेत्र के ग्राम/बीट को चुनकर क्लिक करें |

ग्राम/बीट की सामान्य सूचना, जनसांख्यिकीय विवरण, विविध विवरण एवं अन्य आवश्यक सूचना भर कर **“जमा करें”** बटन पर क्लिक करें |

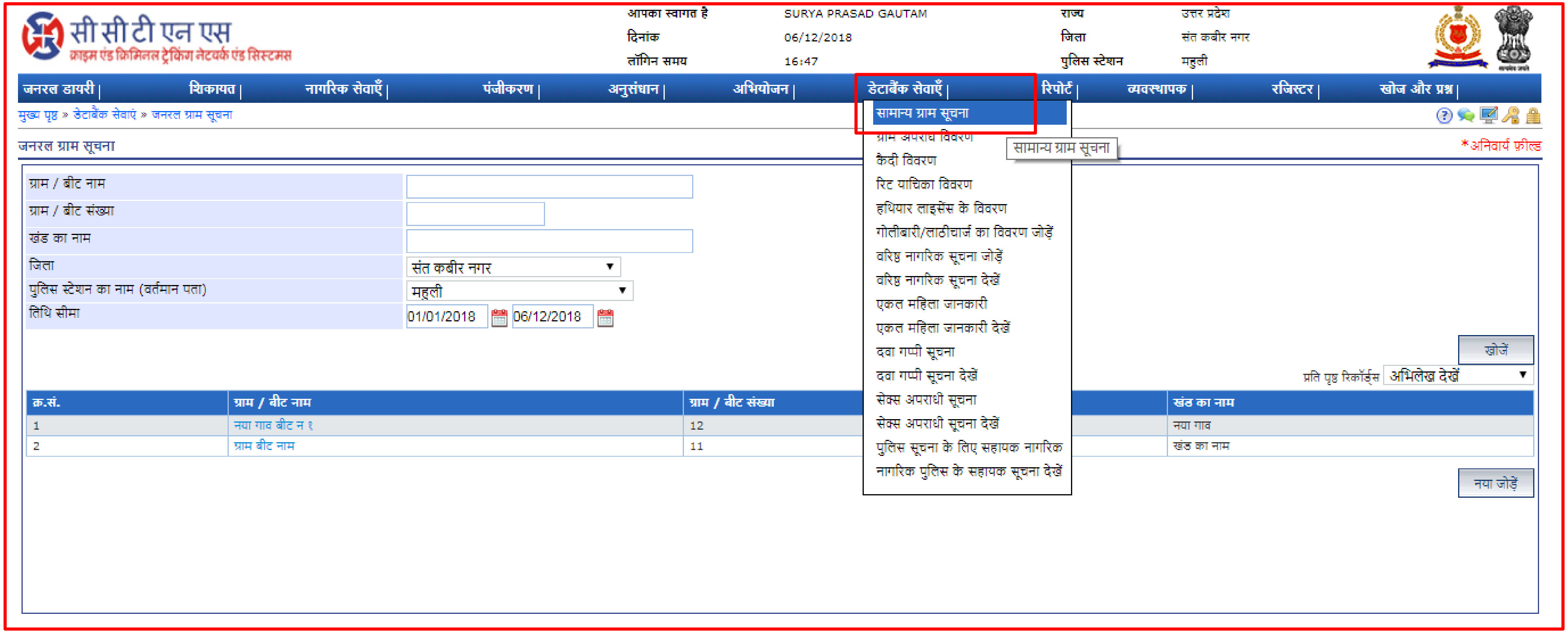

डेटाबैंक सेवायें→सामान्य ग्राम सूचना

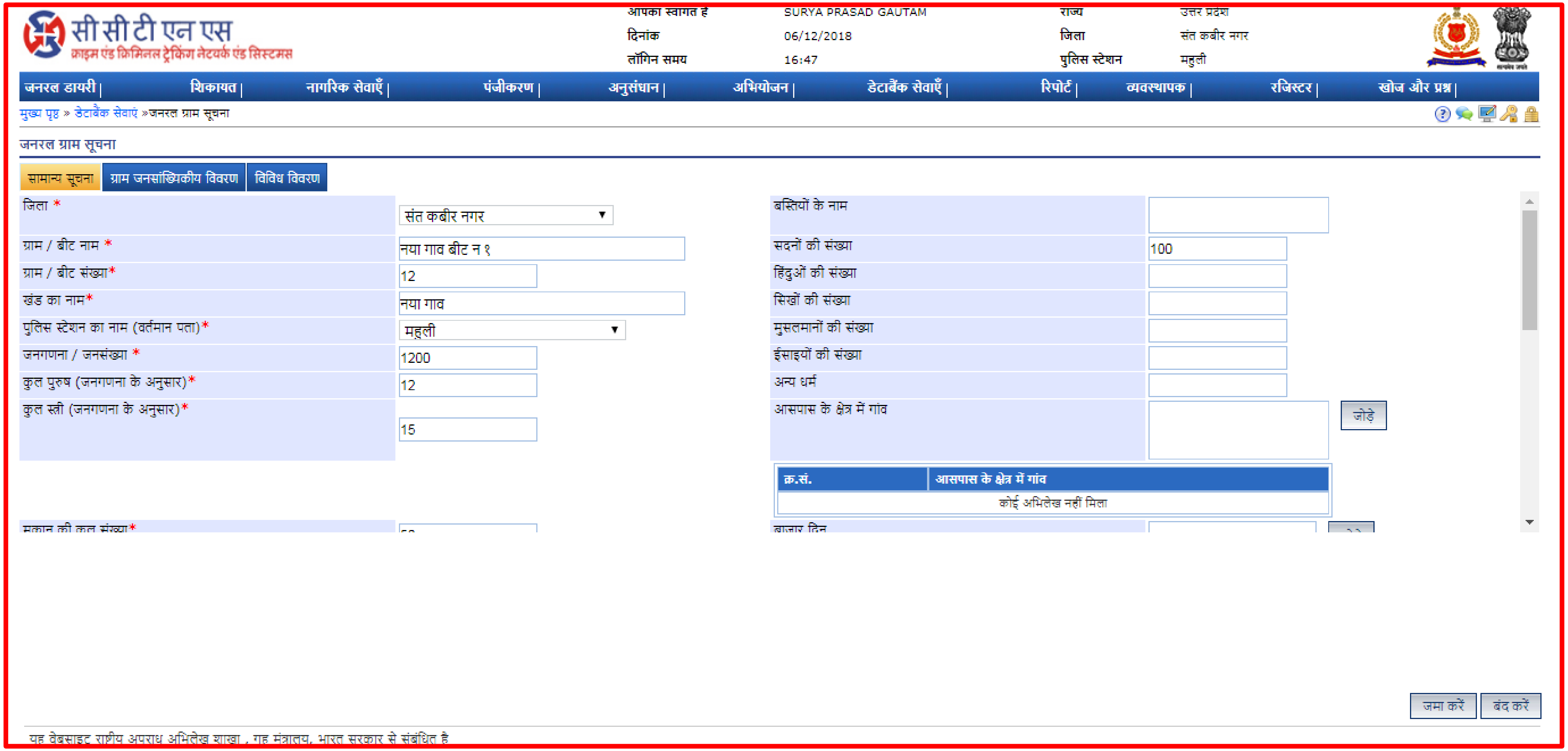

सीसीटीएनएस
क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स

आपका स्वागत है	SURYA PRASAD GAUTAM	राज्य	उत्तर प्रदेश
दिनांक	06/12/2018	जिला	संत कबीर नगर
लॉगिन समय	16:47	पुलिस स्टेशन	महुली

जनरल डायरी | शिकायत | नागरिक सेवाएँ | पंजीकरण | अनुसंधान | अभियोजन | डेटाबैंक सेवाएँ | रिपोर्ट | व्यवस्थापक | रजिस्टर | खोज और प्रश्न |

मुख्य पृष्ठ » डेटाबैंक सेवाएं »जनरल ग्राम सूचना

जनरल ग्राम सूचना

सामान्य सूचना | ग्राम जनसांख्यिकीय विवरण | विविध विवरण

जिला *	संत कबीर नगर	बस्तियों के नाम	
ग्राम / बीट नाम *	नया गाव बीट न १	सदनों की संख्या	100
ग्राम / बीट संख्या*	12	हिंदुओं की संख्या	
खंड का नाम*	नया गाव	सिखों की संख्या	
पुलिस स्टेशन का नाम (वर्तमान पता)*	महुली	मुसलमानों की संख्या	
जनगणना / जनसंख्या *	1200	ईसाइयों की संख्या	
कुल पुरुष (जनगणना के अनुसार)*	12	अन्य धर्म	
कुल स्त्री (जनगणना के अनुसार)*	15	आसपास के क्षेत्र में गांव	जोड़े

क्र.सं.	आसपास के क्षेत्र में गांव
कोई अभिलेख नहीं मिला	

जमा करें | बंद करें

यह वेबसाइट राष्ट्रीय अपराध अभिलेख शाखा , गृह मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है

2. सीसीटीएनएस(CAS) में "ग्राम अपराध विवरण" सम्बन्धी प्रक्रिया

थाना क्षेत्र के ग्राम/बीट में हुए दंगे, आपराधिक समूह, पंजीकृत गिरोह, सजा पाए दोषी व्यक्ति इत्यादि से जुडी आधारभूत एवं सामान्य जानकारी, CAS में भरी जा सकती है | इसके लिए CAS में SW(स्टेशन लेखक) की ID से लॉग इन कर **"डेटाबैंक सेवायें→ ग्राम अपराध विवरण"** पर क्लिक कर, जनपद के थाना क्षेत्र के ग्राम/बीट को चुनकर क्लिक करें |

ग्राम/बीट में हुए दंगे, आपराधिक समूह, पंजीकृत गिरोह, सजा पाए दोषी व्यक्ति इत्यादि से जुड़े टैब में आवश्यक सूचना भर कर **"जमा करें"** बटन पर क्लिक करें |

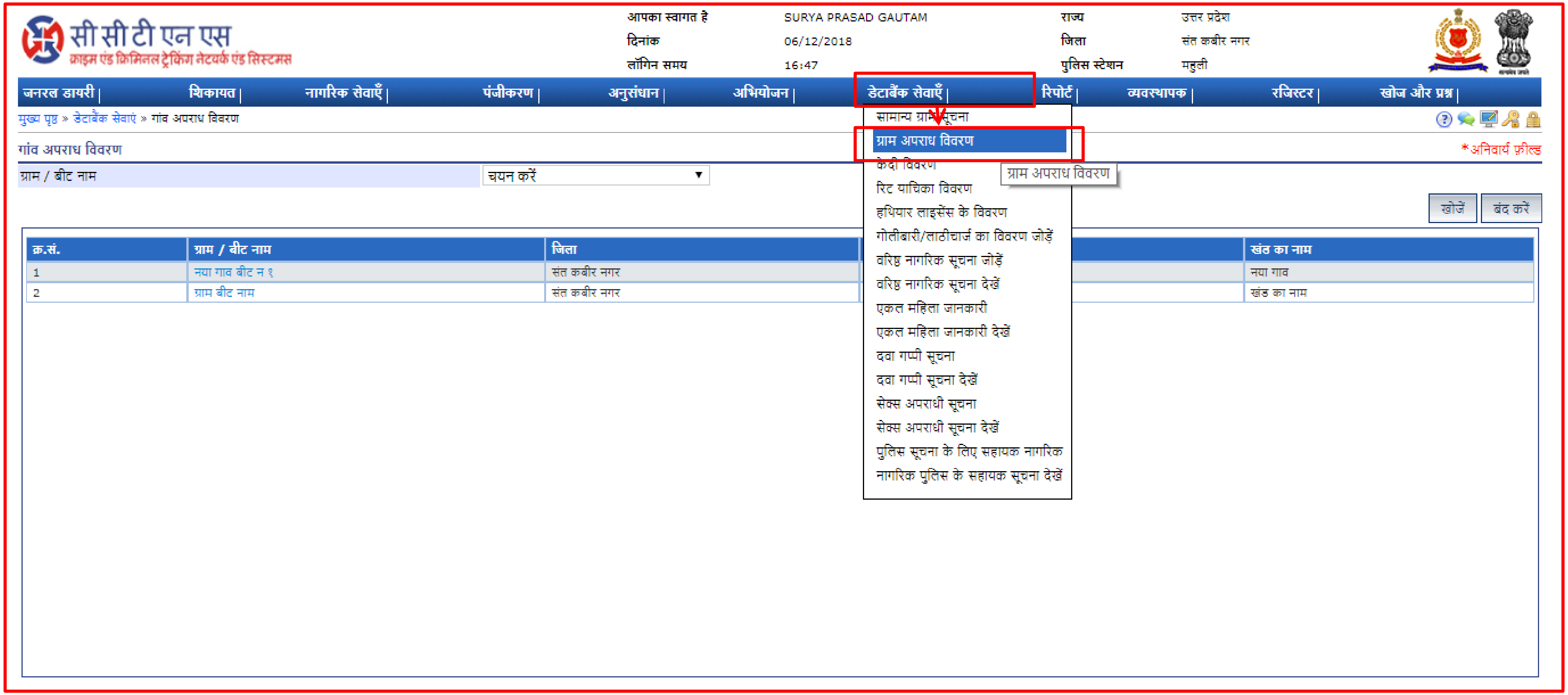

डेटाबैंक सेवायें→ ग्राम अपराध विवरण (नहर काटना और वायर चोरी)

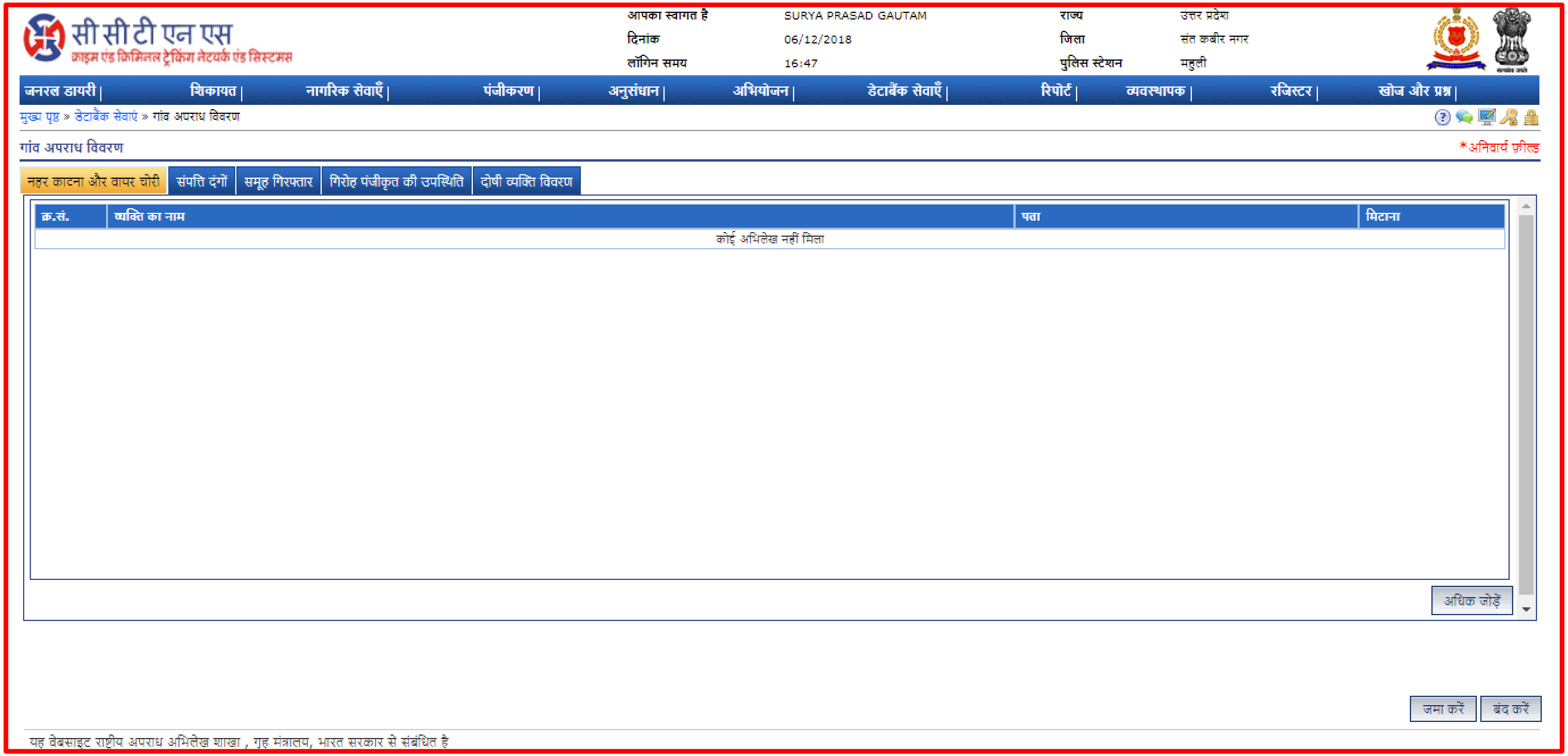

3. सीसीटीएनएस(CAS) में "कैदी विवरण" सम्बन्धी प्रक्रिया

थाना क्षेत्र के कैदियों से जुडी आधारभूत एवं सामान्य जानकारी, CAS में भरी जा सकती है | इसके लिए CAS में SW(स्टेशन लेखक) की ID से लॉग इन कर **"डेटाबैंक सेवायें→कैदी विवरण"** पर क्लिक करें |

कैदी से सम्बंधित सामान्य सूचना एवं अन्य आवश्यक विवरण भर कर **"जमा करें"** बटन पर क्लिक करें |

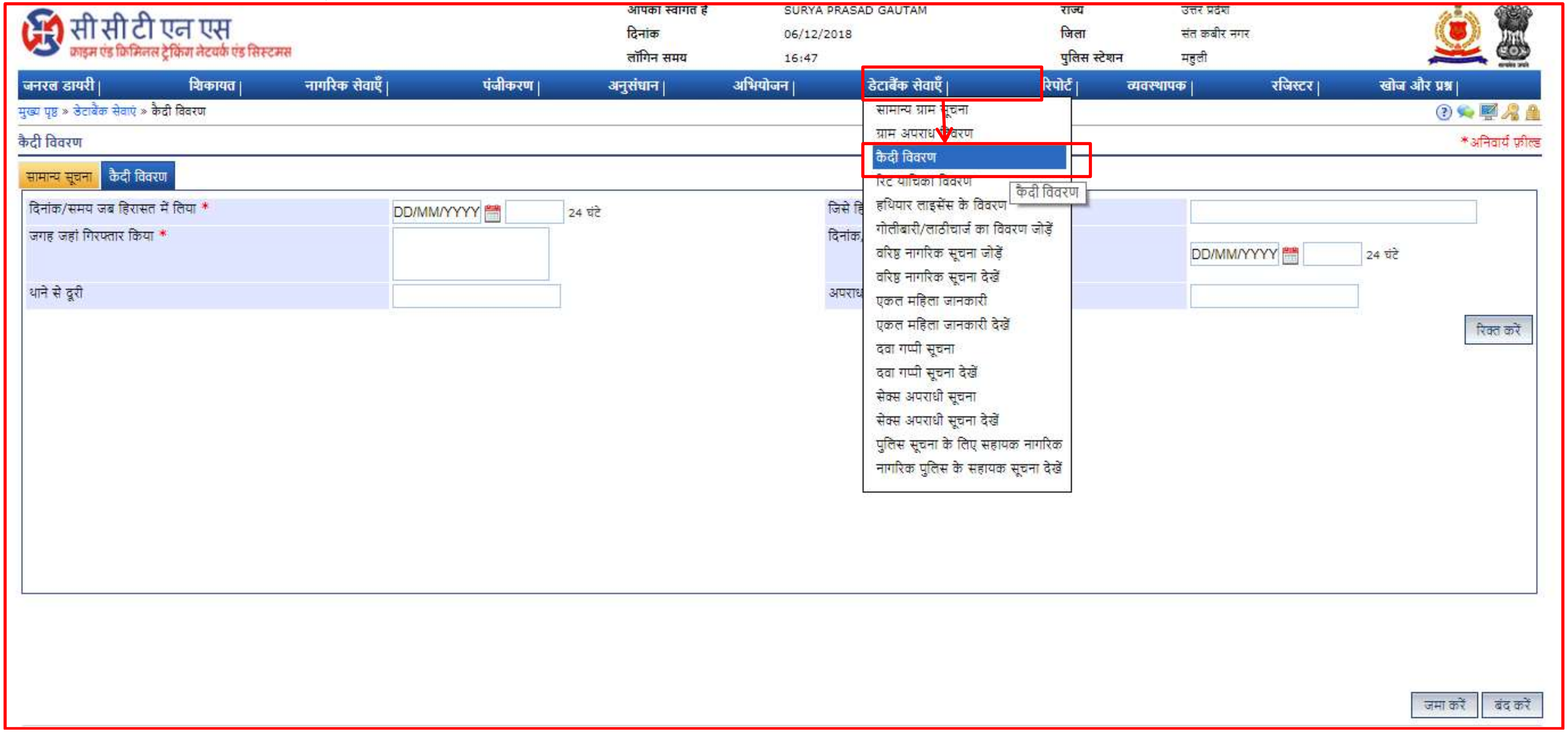

डेटाबैंक सेवायें→कैदी विवरण (सामान्य सूचना)

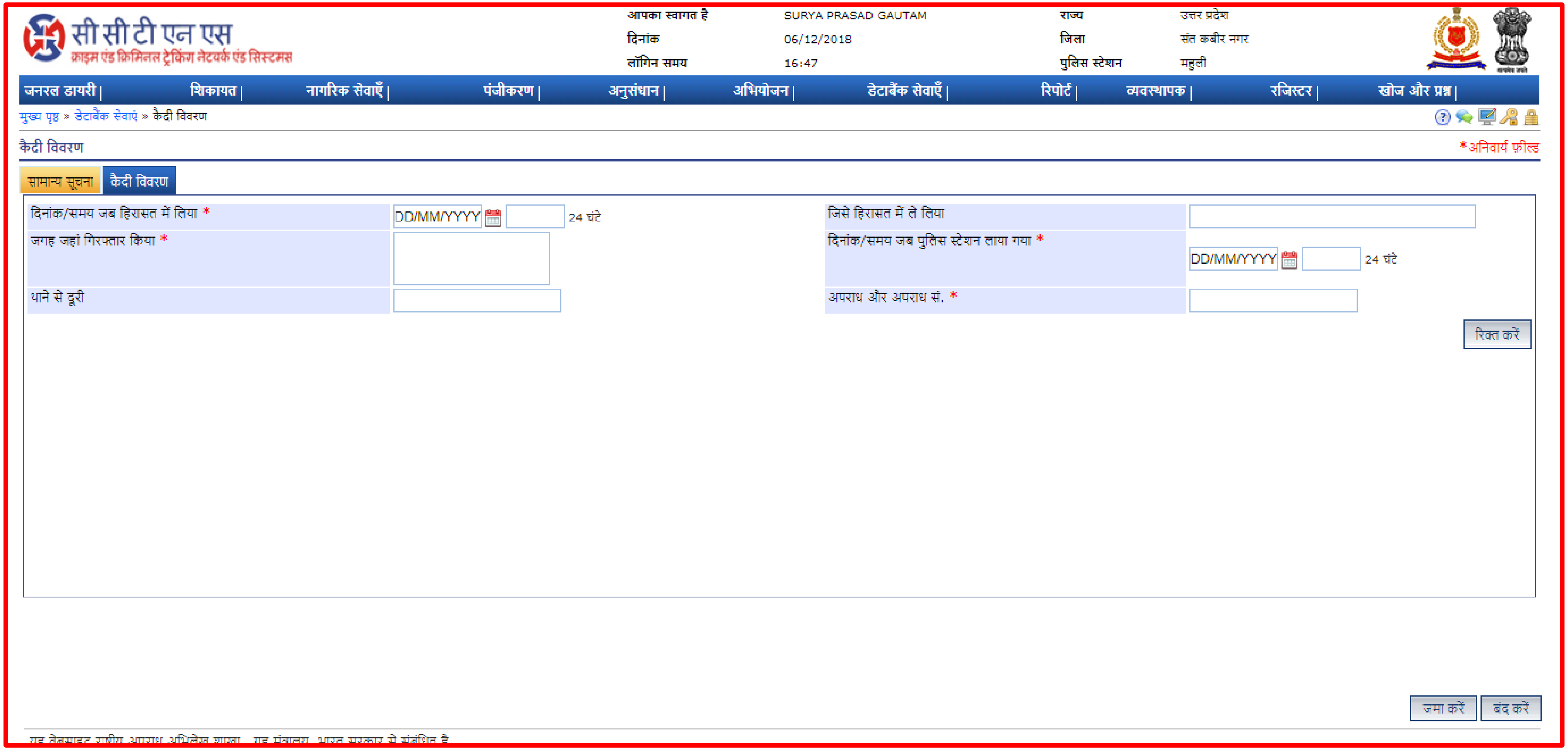

4. सीसीटीएनएस(CAS) में "रिट याचिका विवरण" सम्बन्धी प्रक्रिया

थाना से जुडी रिट याचिकाओं की आधारभूत एवं सामान्य जानकारी, CAS में भरी जा सकती है | इसके लिए CAS में SW(स्टेशन लेखक) अथवा पुलिस उपाधीक्षक (या उच्च अधिकारी) की ID से लॉग इन कर **"डेटाबैंक सेवायें→रिट याचिका विवरण"** पर क्लिक करें |

रिट, याचिकाकर्ता, उत्तरदाता इत्यादि से सम्बंधित सामान्य सूचना एवं अन्य आवश्यक विवरण भर कर **"जमा करें"** बटन पर क्लिक करें |

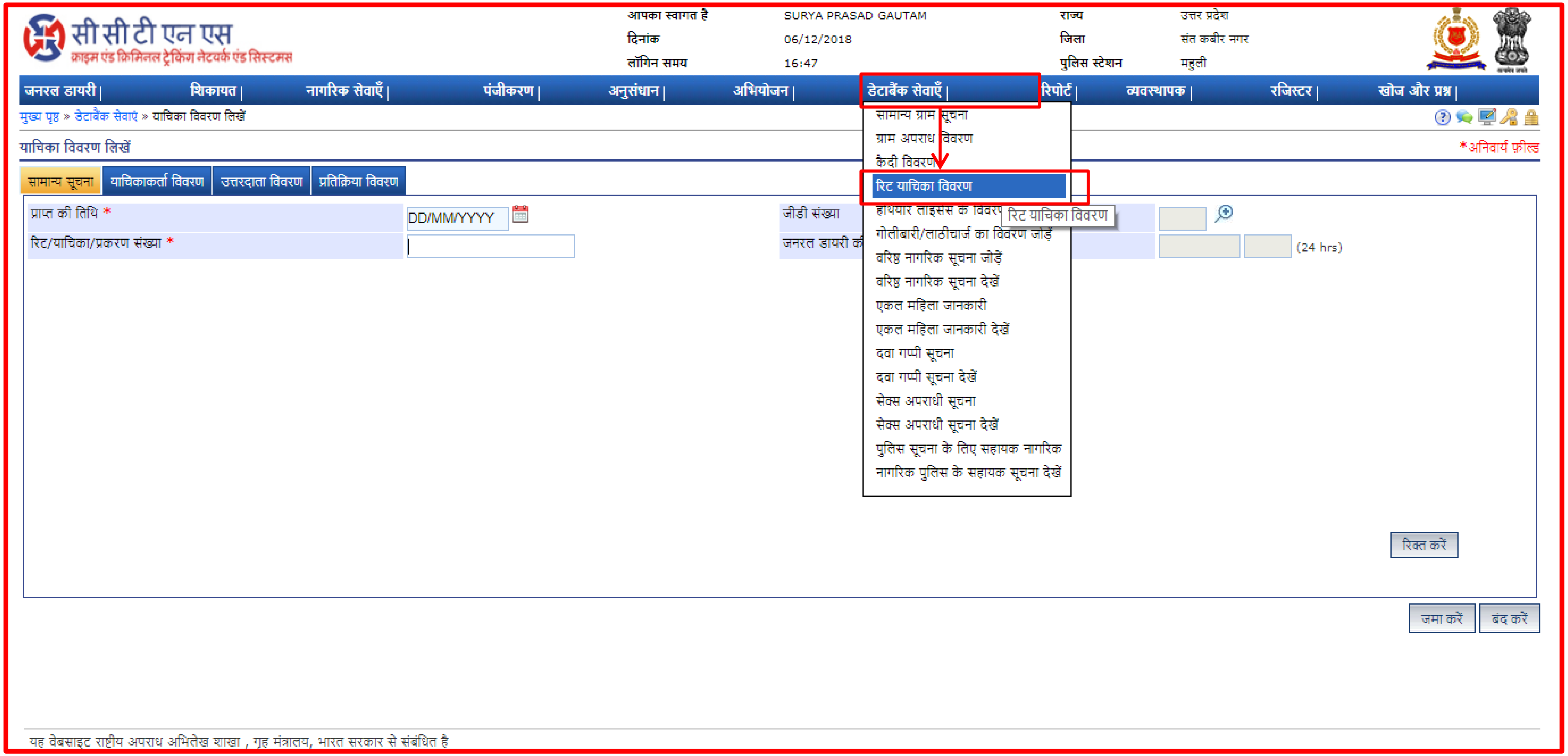

डेटाबैंक सेवायें→रिट याचिका विवरण

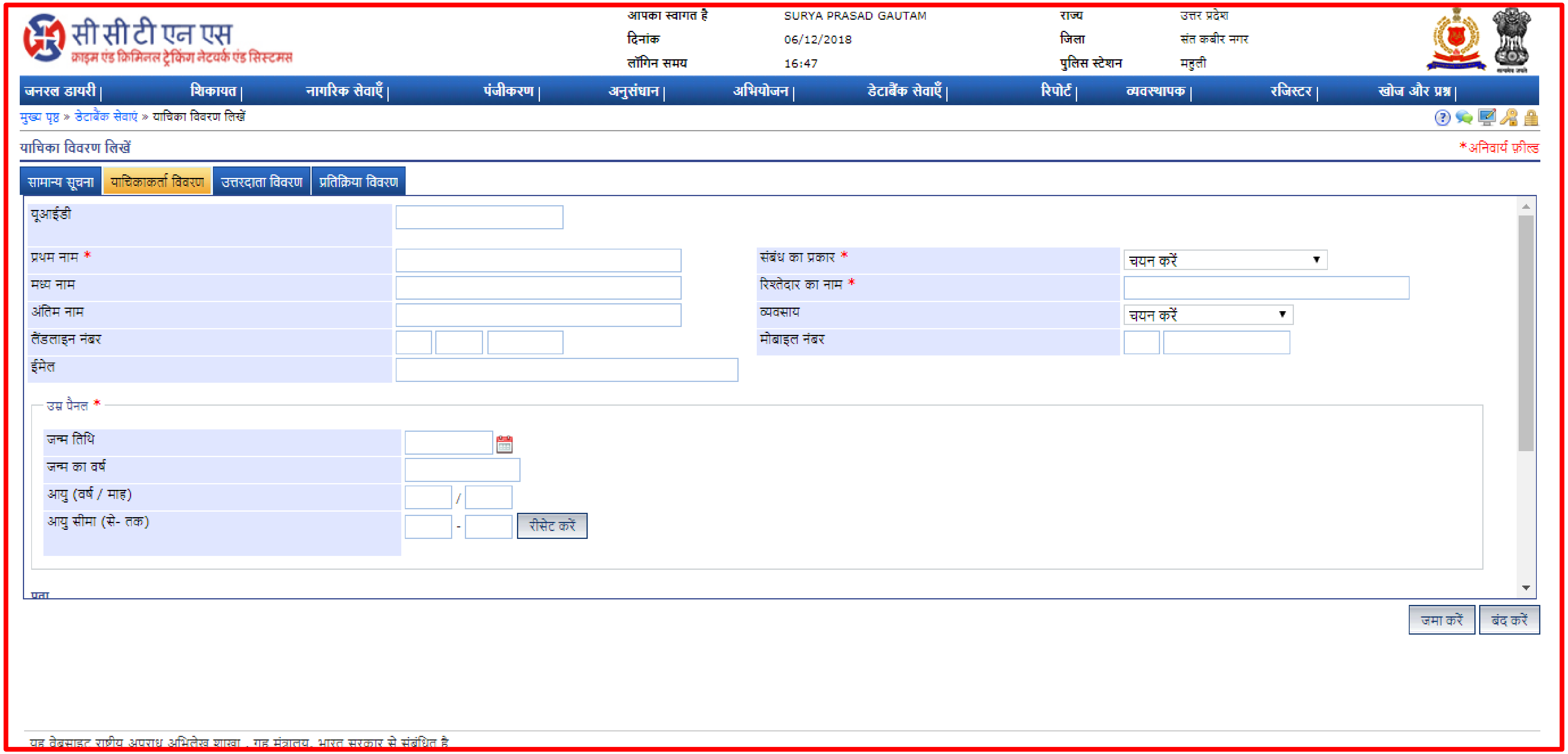

5. सीसीटीएनएस(CAS) में "हथियार लाइसेंस के विवरण" सम्बन्धी प्रक्रिया

थाना क्षेत्र में शस्त्र लाइसेंसधारी व्यक्तियों से जुडी आधारभूत एवं सामान्य जानकारी, CAS में भरी अथवा संशोधित की जा सकती है | इसके लिए CAS में SW(स्टेशन लेखक) की ID से लॉग इन कर **"डेटाबैंक सेवायें→हथियार लाइसेंस के विवरण"** पर क्लिक करें | यहाँ नये लाइसेंसधारी का विवरण जोड़ा जा सकता है एवं मौजूदा लाइसेंसधारी का विवरण संशोधित किया जा सकता है | लाइसेंसधारी से सम्बंधित सामान्य सूचना, फोटो एवं अन्य आवश्यक विवरण भर कर **"जमा करें"** बटन पर क्लिक करें |

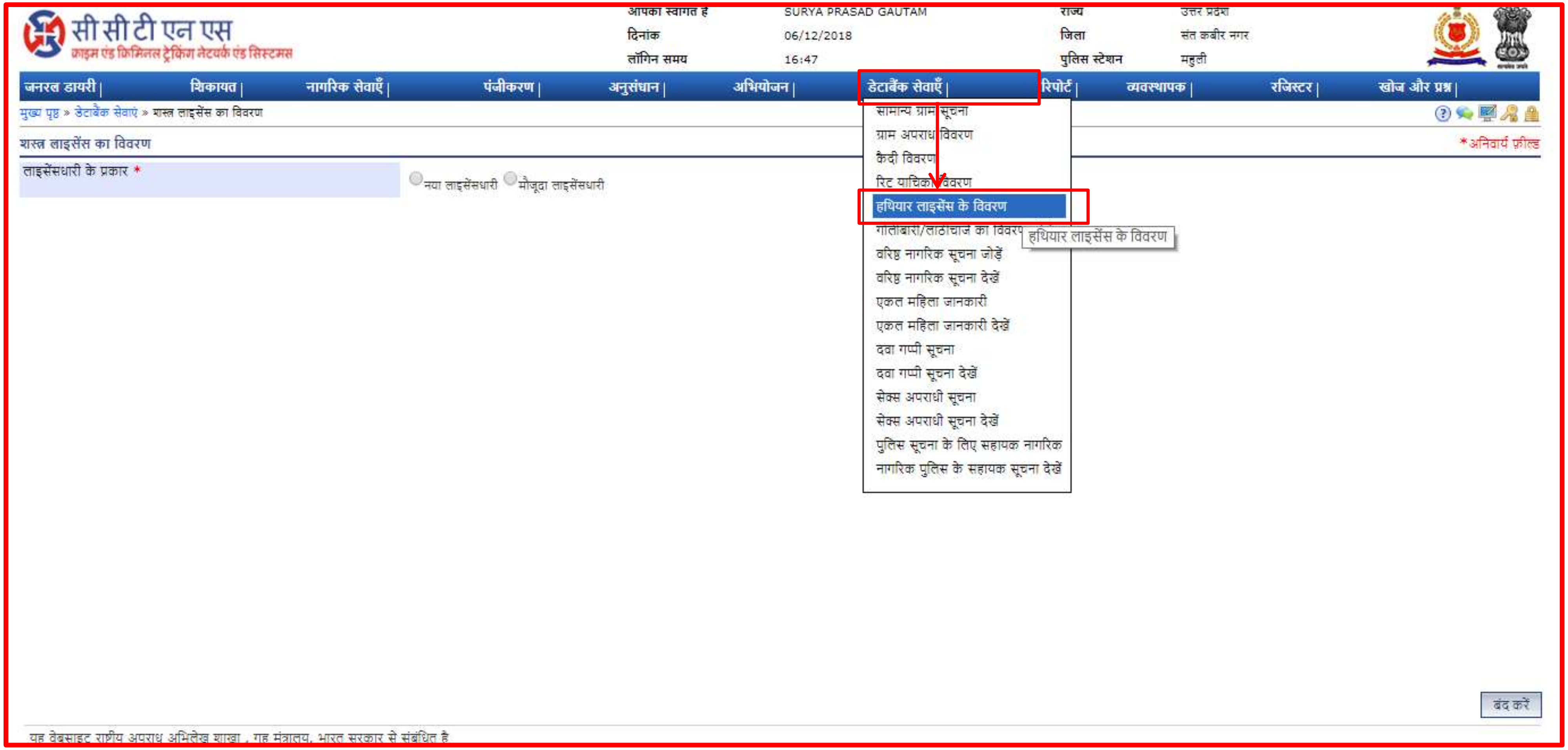

डेटाबैंक सेवायें→हथियार लाइसेंस के विवरण (मौजूदा लाइसेंस)

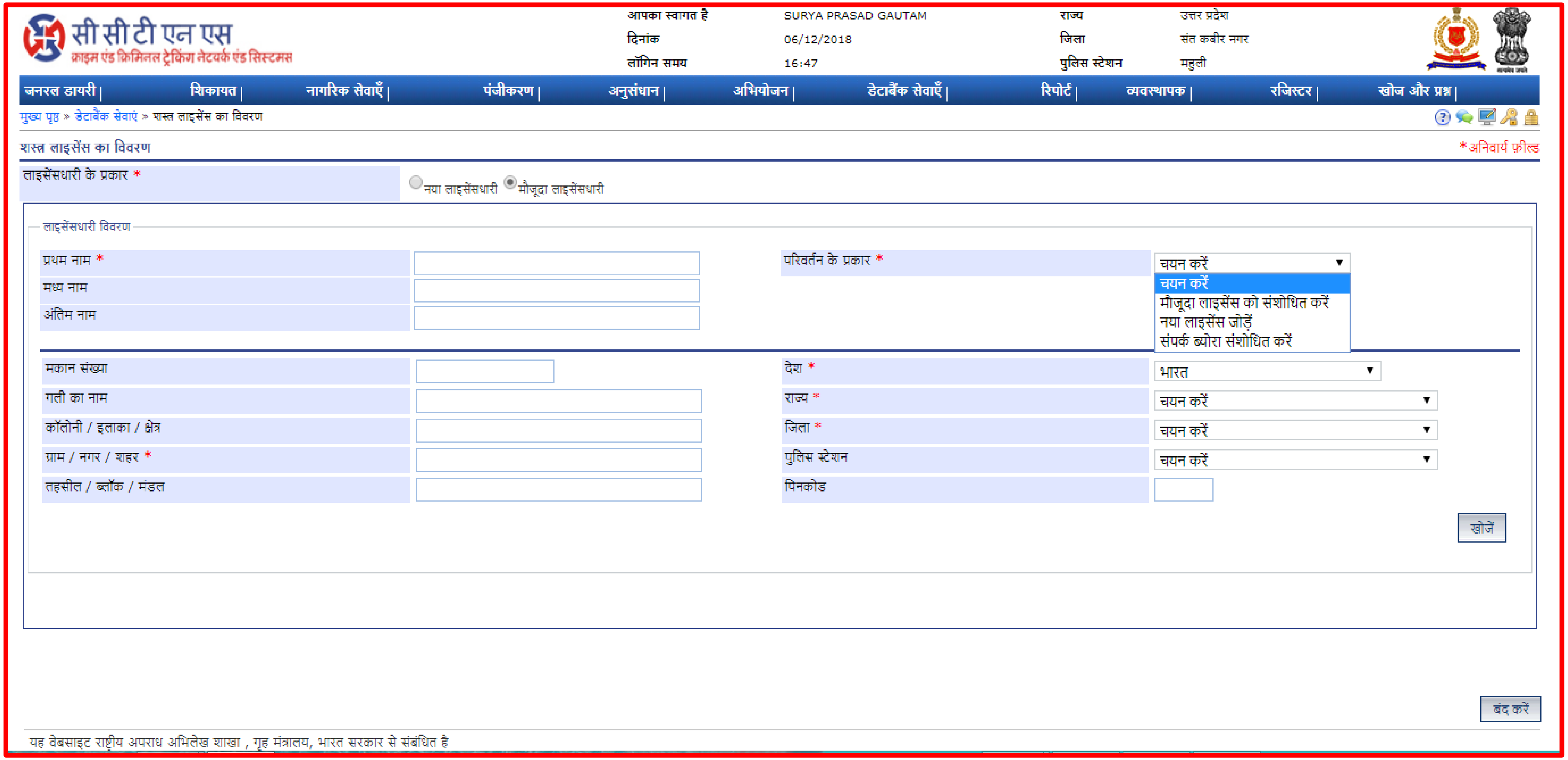

डेटाबैंक सेवायें→हथियार लाइसेंस के विवरण (नया लाइसेंस)

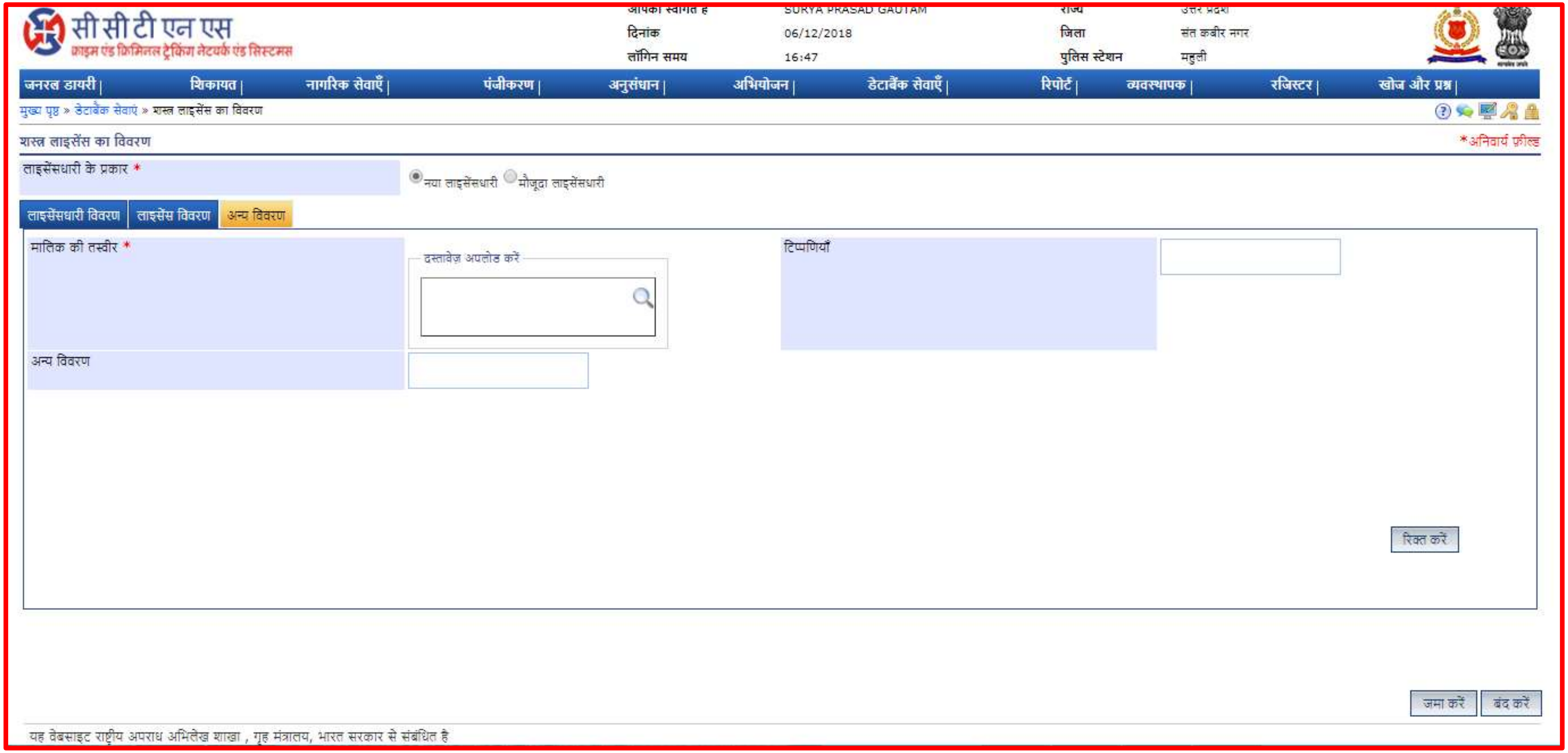

6. सीसीटीएनएस(CAS) में “गोलीबारी/लाठीचार्ज का विवरण” सम्बन्धी प्रक्रिया

थाना क्षेत्र में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए की गयी फायरिंग (गोलीबारी) एवं लाठी चार्ज की जानकारी, CAS में भरी जा सकती है | इसके लिए CAS में SW(स्टेशन लेखक) की ID से लॉग इन कर **“डेटाबैंक सेवायें→गोलीबारी/लाठीचार्ज का विवरण जोड़ें”** पर क्लिक करें | यहाँ GD, घटना सम्बंधित सूचना, तरीका एवं अन्य आवश्यक विवरण भर कर **“जमा करें”** बटन पर क्लिक करें |

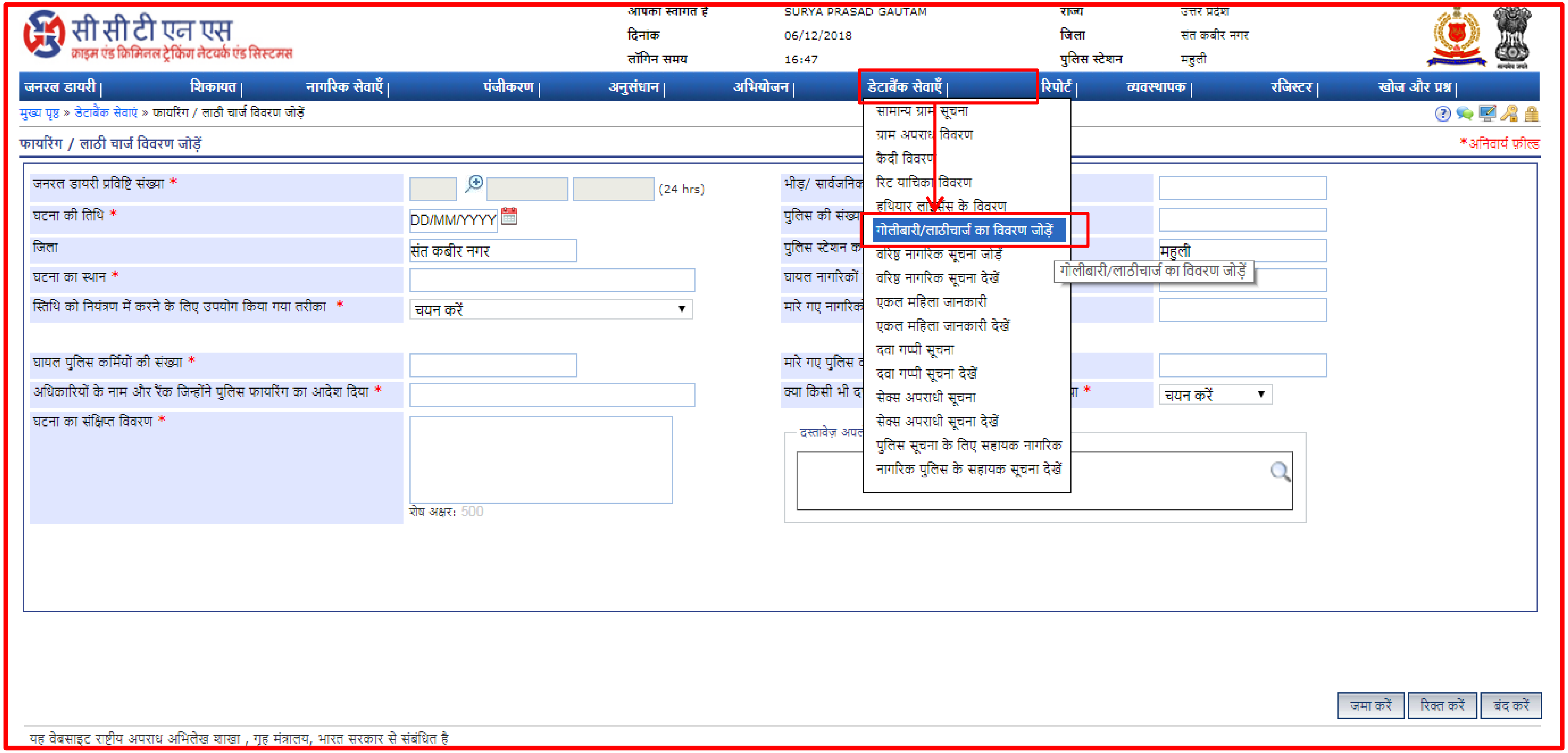

डेटाबैंक सेवायें→गोलीबारी/लाठीचार्ज का विवरण जोड़ें

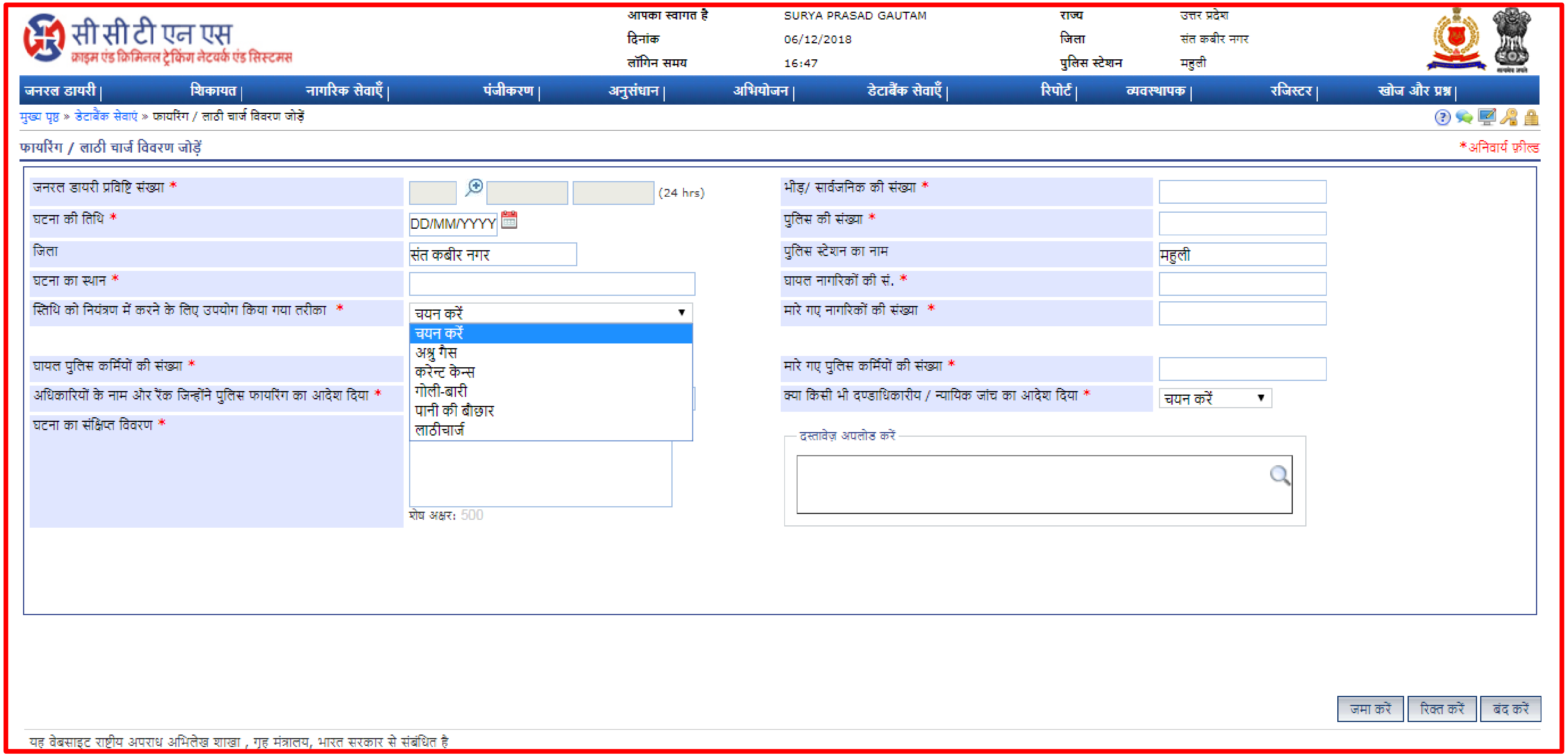

7. सीसीटीएनएस(CAS) में “वरिष्ठ नागरिक सूचना” सम्बन्धी प्रक्रिया

थाना क्षेत्र में रहने वाले सेवानिवृत्त अधिकारियों, चिकित्सकों, संभ्रांत नागरिकों इत्यादि की जानकारी, CAS में भरी जा सकती है | इसके लिए CAS में SW(स्टेशन लेखक) अथवा SHO की ID से लॉग इन कर **“डेटाबैंक सेवायें→वरिष्ठ नागरिक सूचना जोड़ें”** पर क्लिक करें |
यहाँ वरिष्ठ नागरिक का पूर्व एवं वर्तमान व्यवसाय, पता एवं अन्य आवश्यक विवरण भर कर **“जमा करें”** बटन पर क्लिक करें |

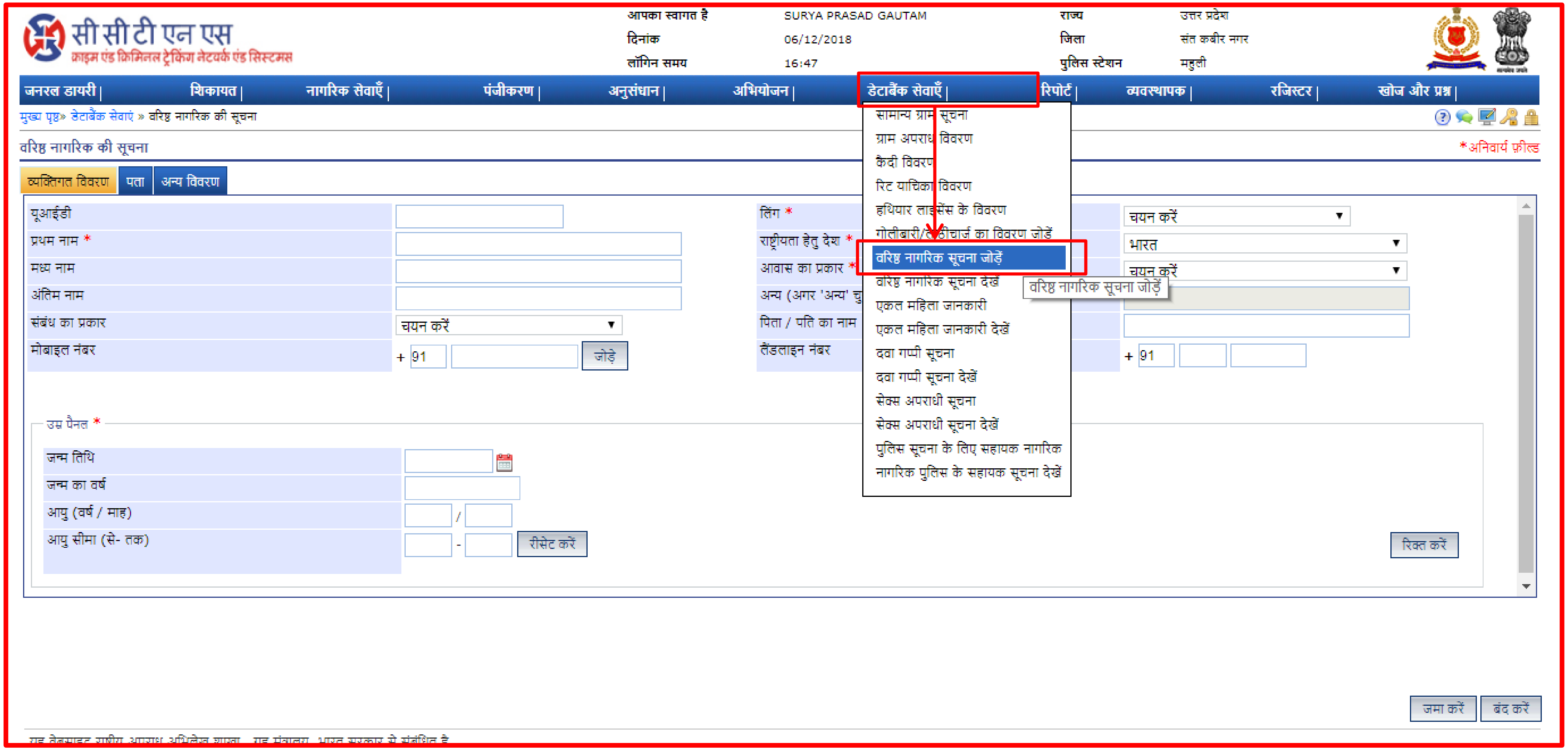

डेटाबैंक सेवायें→वरिष्ठ नागरिक सूचना जोड़ें

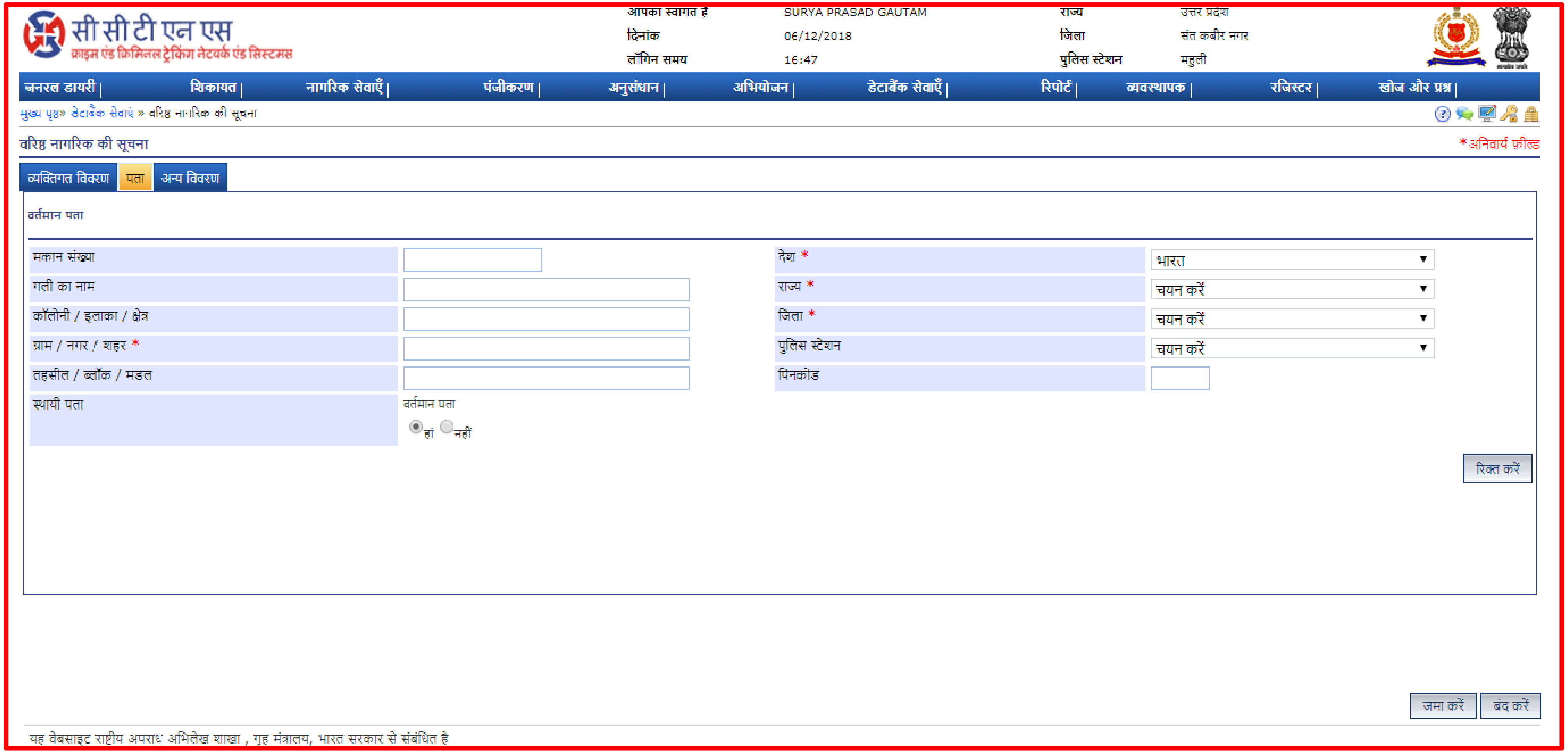

8. सीसीटीएनएस(CAS) में “एकल महिला जानकारी” सम्बन्धी प्रक्रिया

नारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से थाना क्षेत्र में पढाई, नौकरी आदि के कारण अकेले रहने वाली महिलाओं की जानकारी, CAS में भरी जा सकती है | इसके लिए CAS में SW(स्टेशन लेखक) अथवा SHO की ID से लॉग इन कर **“डेटाबैंक सेवायें→एकल महिला जानकारी”** पर क्लिक करें | यहाँ अकेले रहने वाली महिलाओं का पता, अभिभावक एवं अन्य आवश्यक विवरण भर कर **“जमा करें”** बटन पर क्लिक करें |

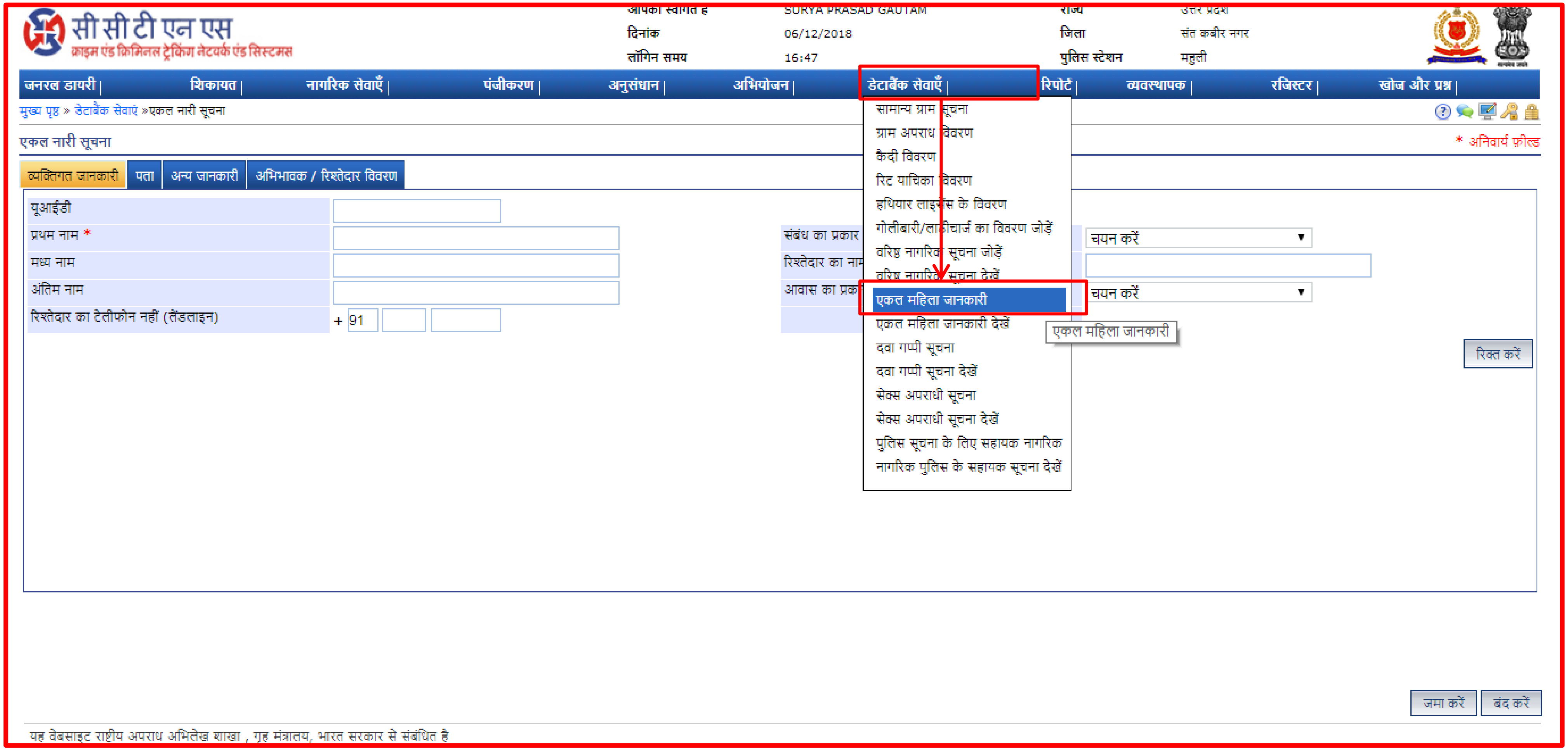

डेटाबैंक सेवायें→एकल महिला जानकारी

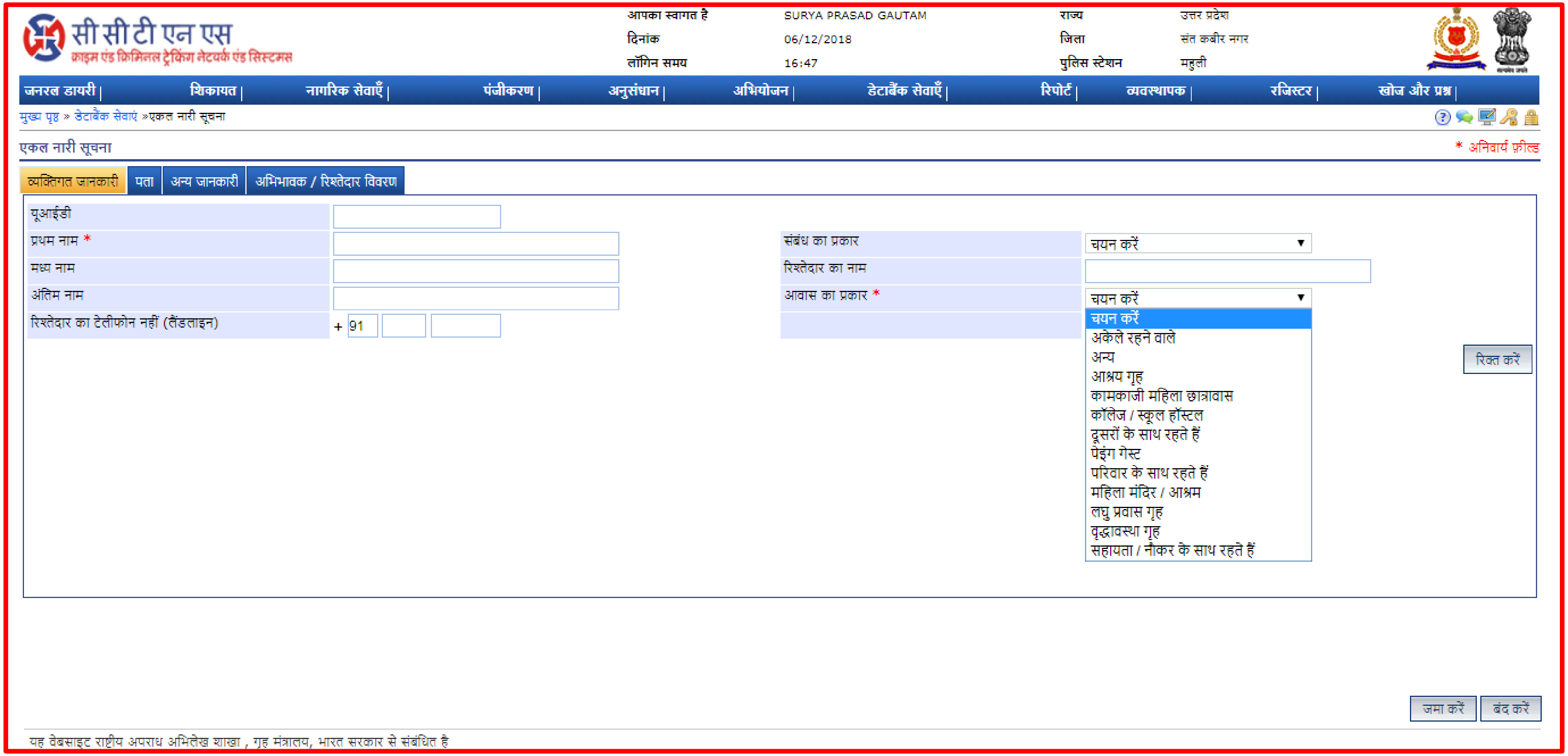

9. सीसीटीएनएस(CAS) में “दवा गप्पी सूचना” सम्बन्धी प्रक्रिया

थाना क्षेत्र में नशीली दवायें बेचने वालों की जानकारी, CAS में भरी जा सकती है | इसके लिए CAS में SW(स्टेशन लेखक) अथवा SHO की ID से लॉग इन कर **“डेटाबैंक सेवायें→दवा गप्पी सूचना”** पर क्लिक करें |

यहाँ नशीली दवायें बेचने वालों की जानकारी, पिछले मामले, सहयोगी एवं अन्य आवश्यक विवरण भर कर **“जमा करें”** बटन पर क्लिक करें |

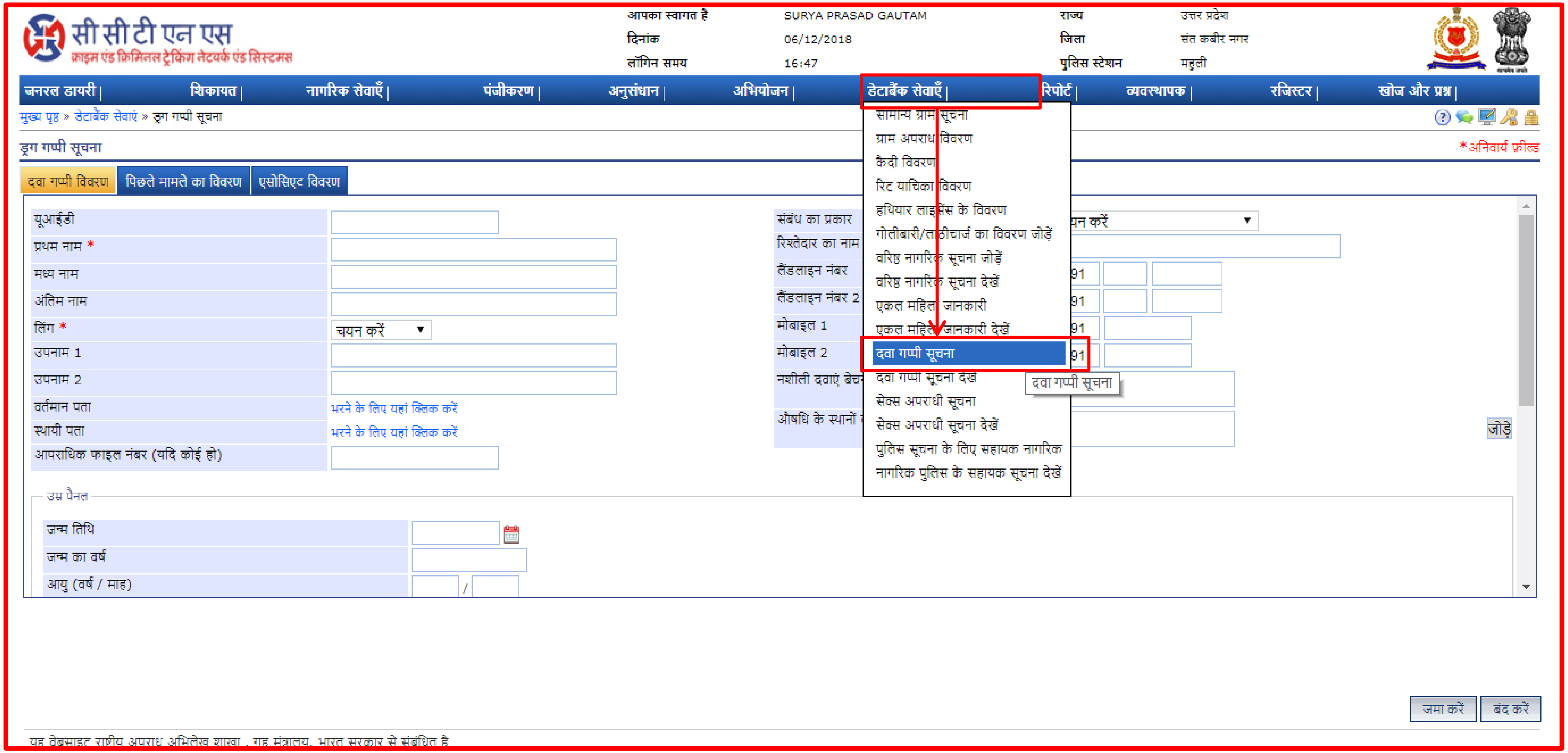

डेटाबैंक सेवायें→दवा गप्पी सूचना

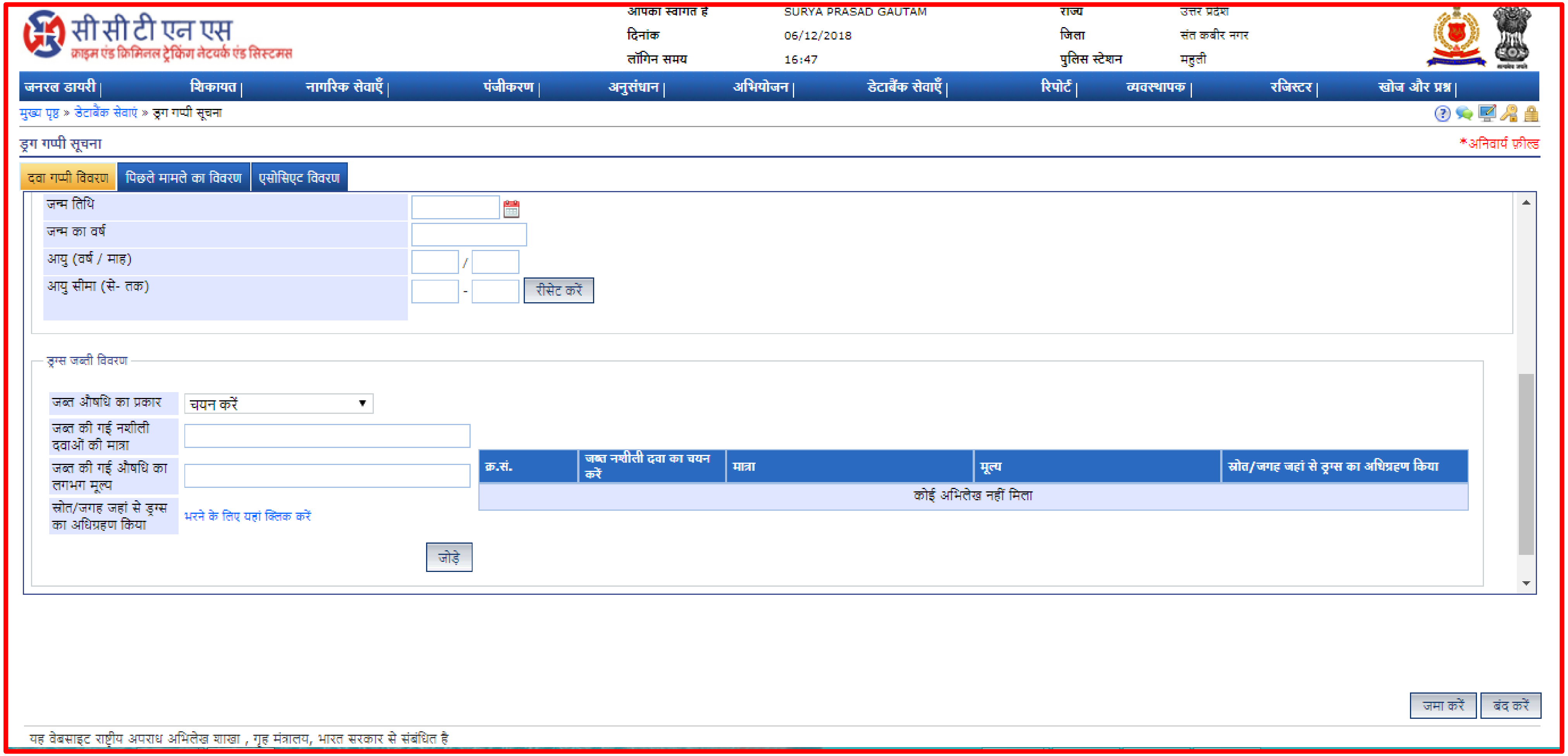

10. सीसीटीएनएस(CAS) में "सेक्स अपराधी" सम्बन्धी प्रक्रिया

थाना क्षेत्र में सेक्स अपराधी की जानकारी, CAS में भरी जा सकती है | इसके लिए CAS में SW(स्टेशन लेखक) अथवा SHO की ID से लॉग इन कर **"डेटाबैंक सेवायें→सेक्स अपराधी सूचना"** पर क्लिक करें |

यहाँ सेक्स अपराधी का विवरण, पिछले मामले, सहयोगी एवं अन्य आवश्यक विवरण भर कर **"जमा करें"** बटन पर क्लिक करें |

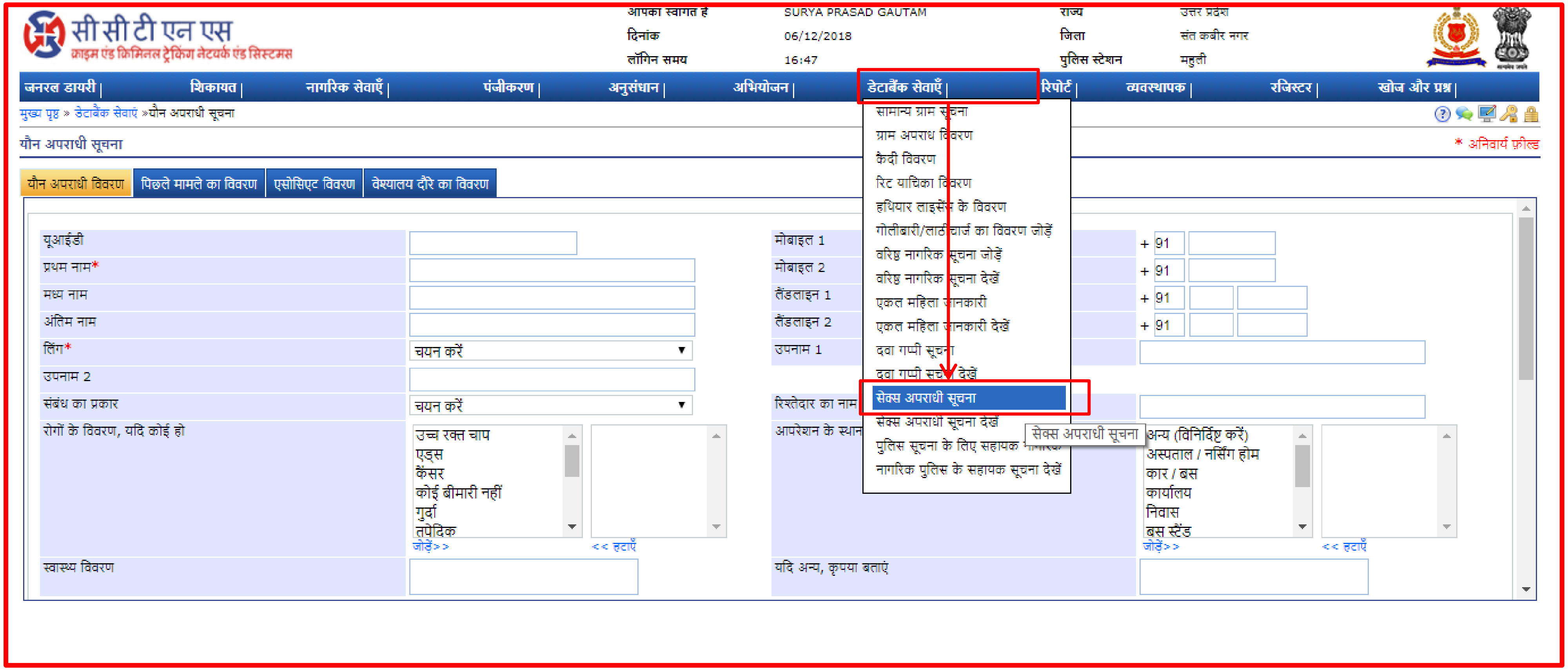

डेटाबैंक सेवायें->सेक्स अपराधी सूचना

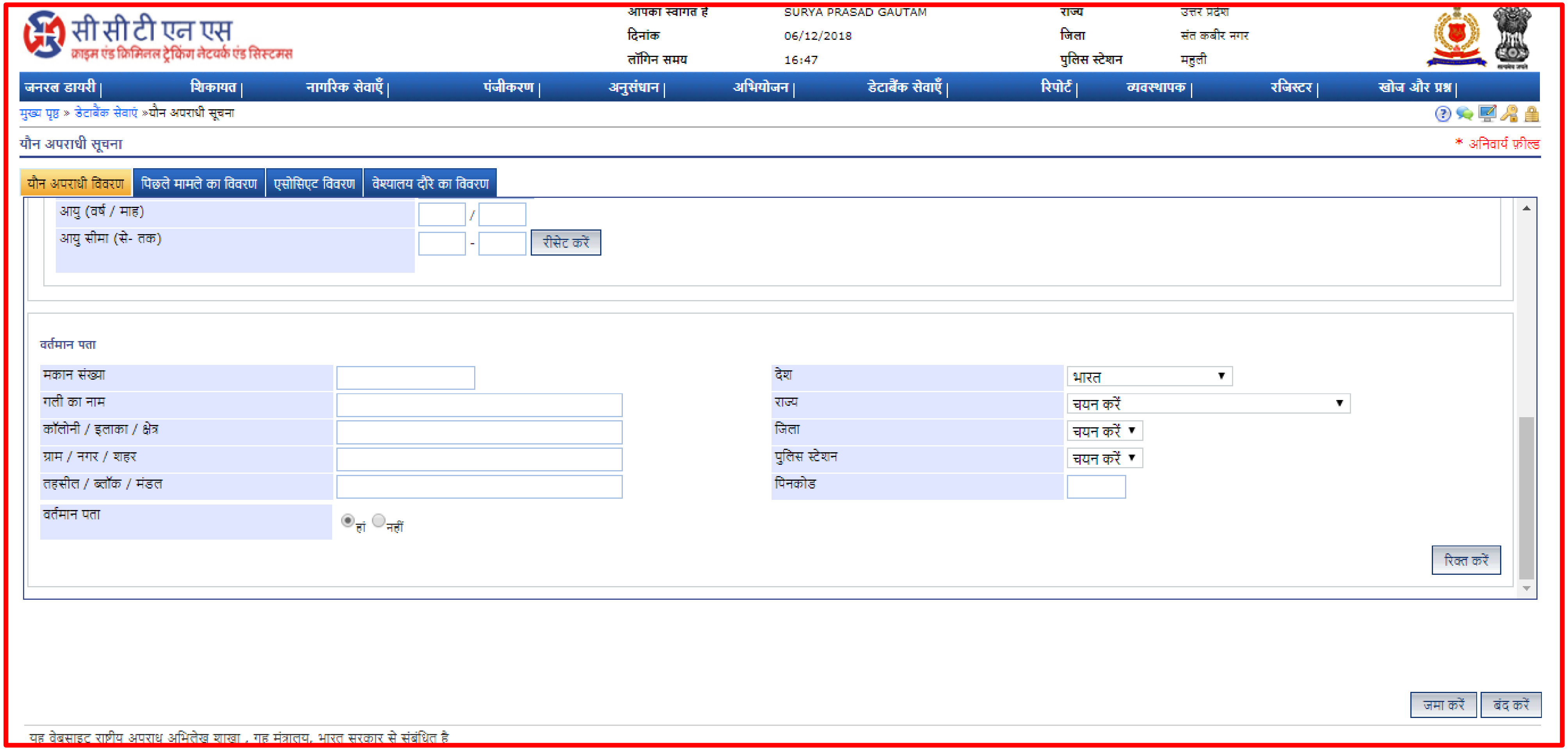

11. सीसीटीएनएस(CAS) में "पुलिस सूचना के लिए सहायक नागरिक" सम्बन्धी प्रक्रिया

थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु, पुलिस को अपराध एवं अपराधियों की जानकारी देने वाले **सजग/संभ्रांत नागरिकों एवं पुलिस मित्र** की सूचना, CAS में भरी जा सकती है | इसके लिए CAS में SW(स्टेशन लेखक) अथवा SHO की ID से लॉग इन कर **"डेटाबैंक सेवायें→पुलिस सूचना के लिए सहायक नागरिक"** पर क्लिक करें |

यहाँ आवश्यक विवरण भर कर **"जमा करें"** बटन पर क्लिक करें |

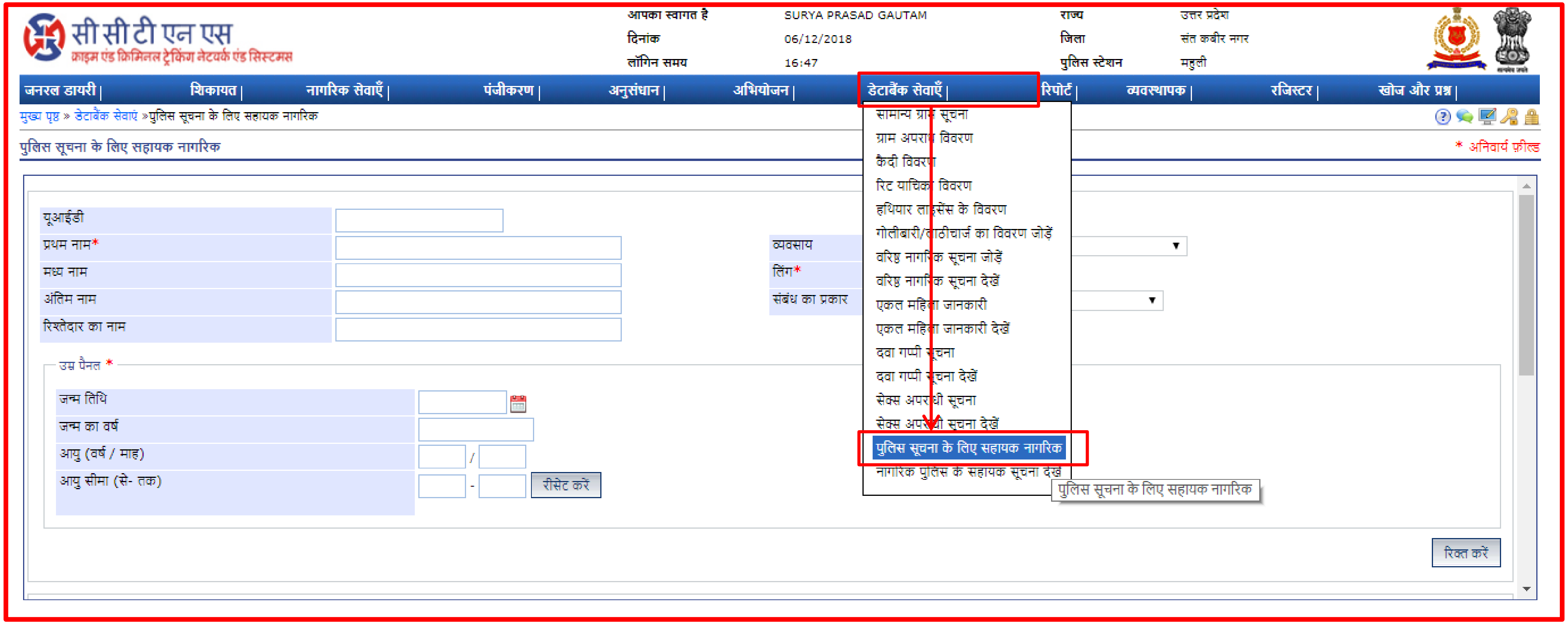

डेटाबैंक सेवायें→पुलिस सूचना के लिए सहायक नागरिक

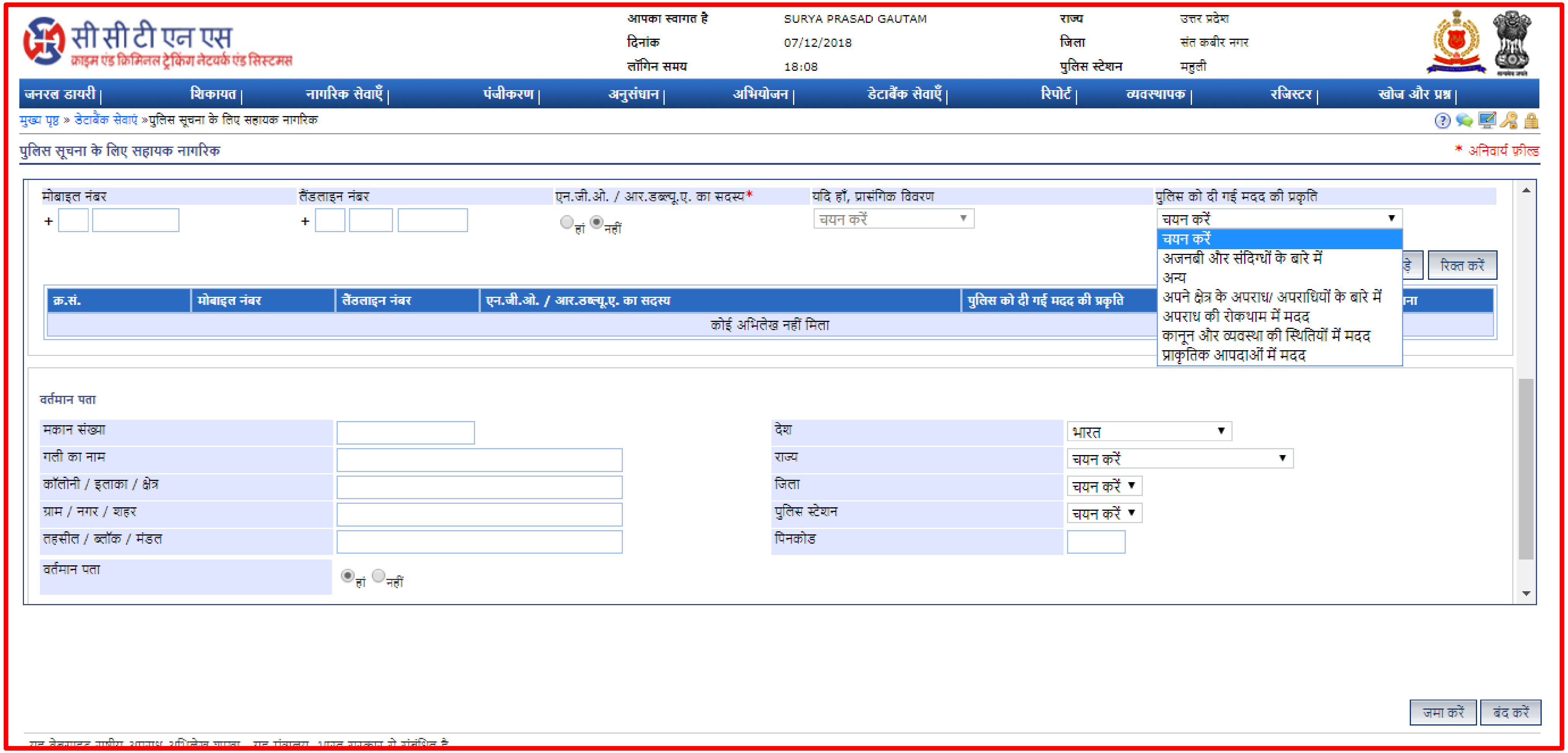

--धन्यवाद--